न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (क0प्र0) कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
उपस्थितः– महिमा सिंह, उ0प्र0 न्यायिक सेवा
वाद संख्या–959/2022

1. निशा पुत्री स्व0 इलियास खान पत्नी श्री शाहरूख निवासी लोको कालोनी नई आबादी, गली नंबर 11 थाना सिविल लाइन जिला अलीगढ़।
2. इनाया पुत्री शाहरूख नाबालिग संरक्षिका माता।

–––प्रार्थिया।

बनाम

1–शाहरूख पुत्र फारूख
2–नसीम बेगम पत्नी श्री फारूख
3–फारूख पुत्र नामालूम
4–फिरोज पुत्र फारूख
5–फैजान पुत्र फारूख
6–अमरीन पत्नी जरीम

समस्त निवासीगण मुंडा खेडा मस्जिद के पास शाहरूख कबूतर वाले थाना खुर्जा जिला बुलंदशहर, हाल निवासी करदमपुरी शनि बाजार गली नंबर 2 बर्तनवाली में मतलूब के मकान में द्वितीय तल थाना ज्योतिनगर दिल्ली।

––विपक्षीगण

धारा–12,17,18,19,20,21,22 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
थाना–सिविल लाइन, अलीगढ़।

<u>एकपक्षीय निर्णय</u>

प्रार्थिनीगण निशा व इनाया द्वारा विपक्षीगण शाहरूख, नसीम बेगम, फारूख, फिरोज, फेजान व अमरीन के विरूद्ध प्रस्तुत वाद घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र में कथन इस प्रकार है कि धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश, धारा 19 के अधीन स्त्रीधन, धारा 20 के अधीन उर्पाजन की हानि एवं धारा 22 के अधीन वाद व्यय आदि दिलाने जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद विपक्षीगण ने वाद की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और न ही कोई प्रतिवादपात्र दाखिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गयी।

एकपक्षीय साक्ष्य के रूप में प्रार्थिया ने स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया है।

मैंने प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

प्रार्थिया द्वारा एकपक्षीय साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र दाखिल किया गया है जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिया निशां पुत्री श्री इल्यास निवासी लोको कालौनी नई आबादी गली नं0–11 थाना सिविल लाइन अलीगढ़ का निकाह

दिनाक 16.03.2019 को मय दान दहेज के साथ शाहरूख पुत्र श्री फारूख निवासी–मूंडा खेडा थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर के साथ सम्पन्न हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद से ही प्रार्थिया के पति शाहरूख, सास नसीम बेगम, देवर फिरोजव फैजान अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रूपये की माँग करने लगे थे। प्रार्थिया ने अतिरिक्त दहेज के सम्बन्ध में अपने ससुरालीजन को समझाया कि प्रार्थिया की माॅ बेवा है वह अतिरिक्त दहेज देने की स्थिति में नहीं है तो उपरोक्त सभी ससुरालीजनो ने प्रार्थिया के साथ मारपीट कर उत्पीडन करना शुरू कर दिया कि पति व ससुरालीजनों द्वारा प्रार्थिया को खाने पीने व पहनने के अति आवश्यक खर्चा को भी पूरा नही किया तथा इसी दौरान प्रार्थिया के ससुरालीजन प्रार्थिया को मात्र पहले हुये कपडों में अकेला छोडकर छोडकर स्वयं सभी कर्दमपुरी शनि बाजार गली नं0–2 बर्तन वाली में मतलूब के मकान में द्वितीय तल दिल्ली मोजपुर चले गये। प्रार्थिया के पति के शायना नाम की लडकी के साथ नाजायज सम्बन्ध थे और प्रार्थिया का पति शाहरूख शायना को अपने साथ भगा ले गया और प्रार्थिया को अपने साथ नहीं रखना चाहता है और प्रार्थिया के स्थान पर शायना को रखना चाहता है। प्रार्थिया मूंडा खेडा खुर्जा के मकान में काफी इंतजार के बाद मजबूर होकर अपनी नवजात पुत्री इनाया के साथ अपने माता के पास अलीगढ दिनाक 12.02.2021 को आ गई तब से आज तक प्रार्थिया के पति व ससुरालीजनो ने कोई मेरी खबर नहीं ली है प्रार्थिया की माँ बेवा है वह प्रार्थिया व प्रार्थिया की पुत्री का खर्चा वहन नहीं कर सकती है ससुरालीजनों ने मुझे छोड रखा है। प्रार्थिया के पति शाहरूख ने दिनांक 5.9.22 प्रार्थिया को फोन करके धमकी दी कि तू अपने मायके जाकर पड गई है अभी तक दो लाख रूपये लेकर नहीं आई मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा तथा मैनें अब दूसरी शादी कर ली है तू यहाँ मत आना। प्रार्थिया का कोई आय का साधन नहीं है वह सिलाई, कढाई, बुनाई आदि का कोई काम नहीं जानती है जिससे वह अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण कर सके बेरोजगार है तथा प्रार्थिया की बेवा माँ लोगों के घर का काम करती है तथा गरीब है वह प्रार्थिया का खर्चा चलाने में असमर्थ है। विपक्षी दिल्ली में रहकर ऑटो रिक्शा चलाता है जिसमें विपक्षी की आय लगभग 30,000/– रूपये महिना होती है जिसमें से 15,000/– रूपये महिना विपक्षी प्रार्थिया व उसकी पुत्री को आसानी से अदा कर सकता है। प्रार्थिया काफी समय से अपने मायके में रह रही है तथा विवश होकर यह वाद दायर कर रही है जो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अतः विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया का छीना गया स्त्रीधन व दहेज का सामान व दस लाख रूपये नकद, 15 हजार रूपये भरणपोष्ज्ञण, निवास हेतु निज निवास, वाद खर्चा व मानसिक, शारीरिक व सामाजिक दुर्दशा व हिंसा के बदले दस लाख रूपये एकमुश्त दिलाया जाए।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित किया जाना व उसका समस्त स्त्रीधन जबरन लेने का कथन किया गया है। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 4 लगायत–6 के विरूद्व भी घरेलू हिंसा कारित करने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि विपक्षी संख्या 4 ता 6 उसके साथ संयुक्त परिवार में रहे हो। प्रार्थिया द्वारा ऐसा कोई भी प्रलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विपक्षीगण संख्या 4 लगायत 6 द्वारा उसके साथ

कोई घरेलू हिंसा कारित की गयी हो। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 4 ता 6 द्वारा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। चूंकि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थिया का पति व पुत्री इनाया का पिता है तो उसका यह नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी व पुत्र का भरणपोषण करे। विपक्षी एक हस्टपुस्त स्वस्थ्य व्यक्ति है तथा उसका यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी व पुत्र का भरणपोषण करे। जहां तक विपक्षी संख्या–1 की प्रतिमाह आमदनी का प्रश्न है तो उसके संबंध में प्रार्थिया द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उस पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों की आर्थिक व मानसिक स्थिति व विवाह उपरांत साथ बितायी गयी अवधि को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी संख्या 1 को प्रार्थिया के भरणपोषण हेतु 3,000/–रूपया प्रतिमाह व प्रार्थिया के अवयस्क पुत्र के भरणपोषण हेतु 2,000/–रूपया प्रतिमाह तथा मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु एक मुश्त 40,000/–रूपया दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 1 को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया को 3,000/–रूपया प्रतिमाह व उसके नावालिग पुत्री को 2,000/–रूपया प्रतिमाह भरणपोषण भत्ता प्रतिमाह निर्णय के दिनांक से अदा करे तथा मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर एक मुश्त 40,000/–रूपया अदा करेगा।

भरणपोषण भत्ता की धनराशि प्रत्येक अंग्रेजी माह की 10 तारीख का देय होगी। यदि प्रार्थिया इसके अतिरिक्त किसी अन्य वाद में कोई भरणपोषण की धनराशि प्राप्त कर रही है तो वह इस भरणपोषण की धनराशि में समायोजित की जायेगी।

विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 को आदेशित किया जाता है कि वह भविष्य में प्रार्थिया के साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं करेगें तथा उसके निवास की व्यवस्था करे।

इस आदेश की एक प्रति क्रियान्वयन हेतु थानाध्यक्ष सिविल लाइन एवं जिला प्रोवेशन अधिकारी एवं सेवा प्रदत्ता को उपलब्ध करायी जावे।

दिनांकः–18–08–2025

(महिमा सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(क0प्र0)
कोर्ट संख्या–2, अलीगढ़।

निर्णय आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–18–08–2025

(महिमा सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(क0प्र0)
कोर्ट संख्या–2, अलीगढ़।